28 6/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 49/2021

उनवान:– जगपाल बनाम दशरथ वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 सायल व गैरसायल न0 1 व 2 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, वर्णित आराजीयात का सायल व गैरसायलान न0 1 व 2 के मध्य विधिवत बटवारा नही हुआ है। एवं सायल व गैरसायल न0 1 व 2 एवं दावे के प्रतिवादीगण 3 ता 9 सयुक्त रूप से काबिज काश्त है लेकिन पूर्वजो के समय से ही जमीन पर सायल एवं गैरसायल न0 1 व 2 एवं दावे के प्रतिवादीगण 3 ता 9 ने मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। गैरसायलान, सायल को अपने हिस्से की आराजीयात पर शांतिपूर्वक काश्त नही करने देते है और आये दिन सायल के हिस्से की फिराक मे रहते है। इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.07.2021 को कन्फर्म किया जावे।

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत व मनगढंत पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 व 2 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है। सायल का वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा नही है। ग्राम खिलचीपुर की आराजीयात कुल किता 4 मे गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/3 का तथा नांगलशेरपुर की आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार एवं काबिज है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम खिलचीपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 33 मे कुल किता 4 कुल रकवा 1.67 है0, मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2 तथा नांगलशेरपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 156 मे कुल किता 1 कुल रकवा 0.42 है0 मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2, खाता न0 155 मे कुल किता 8 कुल रकवा 1.26 है0 मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2, खाता न0 157 मे कुल किता 2 कुल रकवा 0.10 है0 मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2 तथा मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार, खाता न0 469 मे कुल किता 2 कुल रकवा 0.0.09 है0 मे सायल व गैरसायलान न0 1 व 2 व मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल व गैरसायलान सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के न्यायोचित निर्णय के लिए प्रार्थना पत्र मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.07.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28 .06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:26 IST
Reason: SelfAttested